

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के तहत थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए थाना खलीलाबबाद पर पंजीकृत मु0अं0स0 295/2026 धारा 137(2),87,61(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामू पुत्र बालकिशुन निवासी ग्राम जमोहरा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को रोडवेज मेंहदावल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 17.07.2026 को थाना मेंहदावल पर अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री राकेश कुमार, का0 धीरेन्द्र प्रताप सिंह, का0 अंकेश यादव, म0का0 निधि सिंह।

थाना महुली पुलिस द्वारा 10 गुण्डा एक्ट में जिलाबदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर लुक छिप कर जनपद में कर रहा था निवास

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्र*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली ***श्री दुर्गेश पाण्डेय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर जिलाबदर अभियुक्त रजनीश पुत्र सुभाष निवासी कठैचा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 01.10.2026 को मुखालिसपुर पुल के पास से जिलाबदर अवधि का उल्लंघन करने के कारण गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। उक्त गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 401/2026 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्ड नियंत्रण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त को जिला प्रशासन द्वारा छः माह की अवधि के लिए जनपद संतकबीरनगर से जिलाबदर का आदेश दिया गया था। अभियुक्त को इस आदेश का तामिला भी आदेशोपरान्त करवा दिया गया था, उसके उपरान्त भी अभियुक्त जनपद की सीमा में लुक छिप कर निवास कर रहा था। जिलाबदर आदेश के उल्लंघन के क्रम में थाना महुली पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- रजनीश पुत्र सुभाष निवासी कठैचा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

***अपराधिक इतिहास अभियुक्त रजनीश* -**

- मु0अ0सं0 14/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
- मु0अ0सं0 388/2023 धारा 323/452/504/506 भा0द0वि0 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
- मु0अ0सं0 578/2023 धारा 352/504/506 भा0द0वि0 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
- मु0अ0सं0 356/2026 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्ड नियंत्रण अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगण:-

उ0नि0 श्री जय हिन्द भारती, हे0का0 श्रीकांत यादव, का0 मनोज कुमार।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में *थाना धनघटा पुलिस* द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता 01. गुलाब चन्द पुत्र स्व0 कल्पनाथ निवासी महेश्वरपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार यादव, का0 सुबाष, का0 राहुल यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 13 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 235 वाहनों से 254,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 01.10.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 235 वाहनों से 254,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री जय प्रकाश दूबे* की गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 912/2026 धारा 351(3) बीएनएस व 5m/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता उसमान पुत्र हैदर निवासी विधियानी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को विधियानी समय माता मंदिर के पोखरे के पास गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 01.10.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादिनी की नाबालिग पुत्र के साथ अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के मामले प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए, त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 01.10.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अमरनाथ यादव, हे0का0 वीर विक्रम सिंह, का0 अनिल बिन्द्रा।

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के मामलों में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 5000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 01.10.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 5000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरण:-

दिनांक 11.06.2006 को वादी मुकदमा थाना कोतवाली खलीलाबाद अन्तर्गत चौकी मगहर हे0का0 शिवनाथ यादव द्वारा अभियुक्त नरसिंह पुत्र रामनयन सिंह निवासी महुववां उर्फ भिटिअहवा थाना हाटा जनपद कुशीनगर को 02 अदद गोवंशीय पशु बरामद करते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री अनूप कुमार शुक्ल द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरण:-

मु0अ0सं0 905/2006 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त द्वारा स्वेच्छया जुर्म स्वीकार करने पर धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के अपराध में जेल में बिताई गयी अवधि व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

*